कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

(49)

।। श्री ।।

न्यायालय – श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र. कं. /2011 पुर्नरीक्षण
R-1579-PBR/11

01. राधाबाई पति रामसिंह, राजपुत
02. रामसिंह पिता चतरसिह, राजपुत
निवासी ग्राम-- हात्याखेड़ी तह. बड़नगर
जिला उज्जैन म.प्र. ..आवेदकगण

विरुद्ध

मंजुबाई पति दौलतराम, कुम्हार
निवासी ग्राम-- हात्याखेड़ी तह. बड़नगर
जिला उज्जैन म. प्र. ... अनावेदक

श्री एम.एल.यादव अभि० द्वारा आज दि० 22.9.11 प्रस्तुत किया गया (निगरानी)
22-9-11

पुर्नरिक्षण आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा– 50 भु.रा.सं.
न्यायालय अपर कलेक्टर उज्जैन द्वारा पारित प्र. क. 55/10.11 निगरानी मे पारित अन्तरिम प्रासेंडिंग आदेश दिनॉक– 08/09/2011 से शुब्ध होकर

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुर्नरिक्षण आवेदन–पत्र सविनय निम्न प्रस्तुत हैं–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, अनावेदक ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा– 131 भु.रा.सं. का तहसीलदार बडनगर के समक्ष पेश किया है साथ ही एक आवेदन पत्र धारा– 32 इस आशय का प्रस्तुत किया कि, अनावेदक की भुमि सर्वे नं. 171/2 रकबा 3.00हे. स्थित ग्राम हात्याखेड़ी पर आने–जाने व काश्त करने कामार्ग शासकीय मार्ग से होकर आवेदक की भुमि सर्वे नं. 90/1 की पश्चिमी मेढ़ से होकर आदुत का चला आ रहा हैं व इसी भुमि मे शमशान भी स्थित हैं व उक्त रास्ता खुलवाये जाने बाबत् प्रस्तुत किया हैं। जिसका जवाब प्रस्तुत कर आवेदकगण ने उक्त भुमि पर आने जाने का मार्ग बताया जो अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने माननेमे त्रुटी की हैं। जिस वैकल्पिक मार्ग को आवेदकगण ने बताया हैं उसका उपयोग अनावेदक केसाथ अन्य किसान भी करते हैं। ऐसी दशा मे प्रारंभिक स्तर पर ऐसा आदेश पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने महान वैधानिक त्रुटी की हैं। जिससे क्षुब्ध होकर निगरानी अपर कलेक्टर उज्जैन के समक्ष पेश की साथ ही एक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 52 भु. रा. संहिता का प्रस्तुत किया और अधिनस्थ न्यायालय का आवेदनपत्र अन्तिम तर्क के लिये दिनॉक-- 02/08/2011 को ग्रहय कर लिया उसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय अबर कलेक्टर उज्जैन ने स्थगन आवेदनपत्र दिनॉक-- 08/09/2011 को निरस्त कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण आवेदनपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

पुर्नरीक्षण के आधार --

01. यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपने वादग्रस्त आदेश दिनांक-- 08/09/2011 को पारित करने मे महान वैधानिक त्रुटी की हैं, ...

राधाबाई | मंजूबाई

XXIX(a)-BR(H)-11

(59)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(30)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 1579/PBR/11 जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 55/10-11/17 में पारित आदेश दिनांक 8.9.11 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 14.10.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग के समक्ष उपस्थित हों। उज्जैन (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	